

मध्यप्रदेश विधान सभा

सितम्बर, 1992 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 3 सितम्बर, 1992 (भाग 12, 1914)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-

- (1) श्री दादी सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.
- (2) श्री गया प्रसाद कबीर पंथी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

2. प्रश्नों का उत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिए जायेंगे.

3. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगे:-

- (1) मध्यप्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 1 सन् 1992)
- (2) मध्यप्रदेश सामान्य विक्रय कर (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 2 सन् 1992)
- (3) मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 3 सन् 1992), तथा
- (4) मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का चौतीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1-4-90 से 31-3-91 तक) पटल पर रखेंगे,

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार निम्नलिखित प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे :-

(क) मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का पंचम एवं षष्ठम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89 एवं 1989-90,

(ख) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का 27-वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1988-89,

(ग) मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित भोपाल का सत्ताईसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1987-88,

(घ) मध्यप्रदेश स्टेट टेक्सटाइल कार्पोरेशन लिमिटेड भोपाल का पन्द्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे दिनांक 31 दिसम्बर, 1985.

(4) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1991 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(5) श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश ग्रामोद्योग अधिनियम, 1978 (क्रमांक 16 सन् 1978) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल के वर्ष 1985-86 के लेखाओं का महालेखाकार (लेखा परीक्षा) मध्यप्रदेश द्वारा किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(6) श्री जयंत मलैया, राज्य मंत्री, आवास एवं पर्यावरण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1990-91 पटल पर रखेंगे.

(7) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार वी मध्यप्रदेश स्टेट एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का सत्रहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

5. फरवरी-मार्च, 1992 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

6. नियम 287-क के अधीन फरवरी-मार्च, 1992 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) ठाकुर दरबार सिंह, श्री रामानन्द सिंह, डा. गोविन्द सिंह, सदस्य, पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा कक्षा दो की पुस्तकों पर शराब विक्रेताओं के विज्ञापन दिये जाने की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री मोतीलाल वोरा, रविन्द्र चौबे, सदस्य, प्रदेश के मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए अंग्रेजी विषय में न्यूनतम अंकों की बाध्यता से प्रदेश में हो रही परेशानी की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 154 दन्तेवाडा से निर्वाचित सदस्य, श्री बारसा दुलाराम तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 166 खेरथा के सदस्य श्री प्यारेलाल बेलचंदन को सितम्बर 1992 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

10. सभापति तालिका की घोषणा

11. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिए राज्य विधानसभा के आठ-आठ सदस्यों का निर्वाचन

श्री विक्रम वर्मा, शिक्षा मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

"यह सभा उस रीति से जैसी अध्यक्ष महोदय निर्दिष्ट करें मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 20 की उपधारा (1) के पद (अठारह) की अपेक्षानुसार गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर एवं जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की सभा (कोर्ट) के लिए विधान सभा के सदस्यों में से क्रमशः आठ-आठ सदस्यों के निर्वाचन के लिए अग्रसर हो".

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) डा. शक्राजीत नायक, सभापति गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का पंद्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के पंद्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है."

(2) श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि -

"सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है".

13. राज्य मंत्री पर्यटन का वक्तव्य

श्री बृजमोहन अग्रवाल, राज्यमंत्री पर्यटन दिनांक 17 दिसम्बर, 1991 को पूछे गए अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्रमांक 597) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देगे.

14. राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का वक्तव्य

श्री गौरी शंकर शैजवार, राज्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, दिनांक 6 मार्च, 1992 को पूछे गए अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (2507) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देगे.

